

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर संस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक ...

विषय —“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	हसिबुद्दीन पिता—मो० बसिरउद्दीन ग्राम—सरडा पो०+थाना—बहादुरगज जिला—किशनगज एम०सी०एस०—जी० 458	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	रुकमा देवी पति—दीप नारायण पासवान ग्राम—बशी टिकर पोस्ट—बिशनपुर जिच्छो थाना—सबौर जिला भागलपुर एम०सी०एस०— जी० 149	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	माधो सिंह पिता—महावीर सिंह ग्राम—फतेहपुर पो०—जमालपुर गोगरी थाना—गोगरी जिला—खगडिया एम०सी०एस०—एफ 99834	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मीरा देवी पति—तारनी पासवान ग्राम—झाला पो०—ठाकुरगज थाना—कुर्ली कोट जिला—किशनगज एम०सी०एस—एफ 99316	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	सरिता देवी पति-प्रमोद दास ग्राम-बलिराजपुर पो0-पचरुखी थाना-बाबु बरही जिला मधुबनी एम0सी0एस0-एफ 85083	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	उर्मिला कुमारी पति-अनिल कुमार दास ग्राम-गोदना मोड पो0+थाना-रिविलगज जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 99254	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सजय कुमार पिता-धरीक्षण सिंह ग्राम-ओल्ड बहादुरपुर बाजार समिति पो0-राजेन्द्र नगर थाना-बहादुरपुर जिला पटना एम0सी0एस0-एफ 71157	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सरीता देवी पति-दिनेश पडित ग्राम+पो0-मैदा बभनगामा थाना-वीरपुर जिला-बेगुसराय एम0सी0एस0-एफ 95936	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सुमित्रा देवी पति-योगी राय ग्राम-सिमरा पो0-थाना-डुमरा जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 99015	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	सायरा परवीन पति महताब आलम ग्राम-पुरानी मस्जिद इसापुर पो0-फुलवारी शरीफ थाना-फुलवारी शरीफ जिला-पटना एम0सी0एस0-एफ 74416	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	प्रेमशीला देवी पति-उपेन्द्र सिंह ग्राम-नया टोला तुरकौलीया पोस्ट+थाना-तुरकौलीया जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 99135	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	मो० शमशाद हुसैन पिता-मो० मोजिउर रहमान ग्राम-सुरसड वार्ड 5 पो०+थाना-सुरसड जिला-सीतामढी एम०सी०एस-एफ 98558	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	रीता देवी पति-महेन्द्र रजक ग्राम-फुलवरीया 01 गज पो०-बरौनी थाना-फुलवरीया जिला-बेगुसराय एम०सी०एस-एफ 98608	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	रामजी चौधरी पिता-स्व० लाल वचन चौधरी ग्राम-रामपुर के टोला पो०-रामपुर के टोला थाना-एम० एच० नगर जिला-सीवान एम०सी०एस-एफ 96998	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	कल्पना देवी पति-चन्देश्वरी मडल ग्राम+पो०-राम नगर महेश थाना-श्रीनगर जिला-मधेपुरा एम०सी०एस-एफ 62744	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
16	मीना देवी पति-उग्रह भगत ग्राम+पो०-चौरीया थाना-फेसर जिला-औरंगाबाद एम०सी०एस-डी० 99016	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
17	धनजय कुमार प्रसाद पिता-कैलाश सिंह ग्राम-बैकुठपुर पो०-परवान थाना-माझागढ जिला-गोपालगज एम०सी०एस-एफ 31063	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
18	जानकी देवी पति-पचम साव ग्राम+पो०-ढिबर थाना-'फतेहपुर जिला गया एम०सी०एस-एफ 99128	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	दिव्या भारती पिता-पप्पु राय ग्राम-चकजलाल पो0-वाजिदपुर थाना-हलई जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 99995	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	रेणु देवी पति-राजेन्द्र साह ग्राम+पो0-सरिसवा बाजार थाना-मझौलिया जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 99492	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	अर्जुन शर्मा पिता-विश्वनाथ शर्मा ग्राम-हथौडा पो0-हथौडा थाना-हुसैनगज जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 95195	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	अजुला देवी पति-अर्जुन पासवान ग्राम+पो0-सुरौली थाना-विभुतीपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 99059	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	अजय स्वर्णकार पिता-स्व0 जगदीश स्वर्णकार ग्राम-तेलियाहाट वार्ड 16 पो0-सरबेला थाना-बनमा इटहरी जिला-सहरसा एम0सी0एस-एफ 98573	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	सोनु कुमार पाण्डेय पिता शम्भु शरण पाण्डेय ग्राम-बनचहरी पो0-परसा थाना-बगहा जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 84294	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
25	निर्मला देवी पति-ललन सिंह ग्राम-कहेन पो0-कहेन थाना-जगदीशपुर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 81770	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	किरण देवी पति-प्रदीप साह ग्राम-जलालाबाद पो0-असरगज थाना-असरगज जिला-मुगेर एम0सी0एस-एफ 98393	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	मो0 तारिक पिता-अनीसुर रहमान ग्राम-सिकरोना पो0-झौवा थाना-कदवा जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 98744	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	उमेश मेहता पिता-शकर मेहता ग्राम-हिडोलवा पो0-बलभद्रपुर थाना-बीहपुर जिला-सुपौल एम0सी0एस-एफ 99935	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	रमेश शर्मा पिता- सरल शर्मा ग्राम-मुडिला पोस्ट+थाना-राम नगर जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 96516	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	गीता देवी पति-स्व0 चमरू सिंह ग्राम-महदीपुर पो0-महदीपुर थाना-पसराहा जिला-खगडिया एम0सी0एस-एफ 99682	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	सरोज देवी पति-राजेन्द्र प्रसाद ग्राम-खरजामा गोलापर पो0-बरबीघा थाना-बरबीघा जिला शेखपुरा एम0सी0एस-जी0 98	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	किरण देवी पति-राम जपो राय ग्राम-चकबल्ली दियारा पो0-बी0टी0पी0एस0 थाना-मटिहानी जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 98877	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	अनिता देवी पति-कैलाश मेहता ग्राम-महम्मदपुर गोगरा टोली पो0-दुर्गागंज थाना-कदवा जिला कटिहार एम0सी0एस-एफ 97261	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	सुधा देवी पति-कमलेश प्रसाद ग्राम-जगदारी वार्ड 05 पो0 जगदारी थाना-घोषी जिला जहानाबाद एम0सी0एस-एफ 81562	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
35	रामचन्द्र महतो पिता-राम गोविन्द महतो ग्राम-मथुरापुर पो0-गाधोपुर थाना-ताजपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 283	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	शांति हेमब्रम पिता-चुरकु हेमब्रम ग्राम-गौरीगंज पो0-सागररथ थाना-कदवा जिला कटिहार एम0सी0एस-एफ 98686	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	माधुरी देवी पति-रमा शंकर सिंह ग्राम-पैनाल पो-पैनाल थाना-बिहटा जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 78	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	रामजी सिंह पिता-स्व0 राम बरत सिंह ग्राम-चुरा पो0-जय गोविन्द नगर मकहर थाना-बरुण जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-जी0 235	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	चनरावती देवी पति-सुरज ठाकुर ग्राम-जोकीहारी वार्ड 4 पो0-जोकीहारी थाना-रक्सौल जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 99243	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	गीता देवी पति-देव नारायण चौधरी ग्राम-पो0-सिहपुर थाना-गम्हरीया जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-एफ 99076	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	मनोहर ठाकुर पिता-नन्द किशोर ठाकुर ग्राम-सहजौली पो0-सहरगामा थाना-परिहार जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 98754	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	महीरून निशा पति-कमरुद्दीन ग्राम-अडाबारी 10 पो0-भवानीगज थाना-पाठामारी जिला-किशनगज एम0सी0एस-एफ 97876	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
43	मुनरीक देवी पति-नगीना सिंह ग्राम-अनधना मोड नुरसराई पो0-नुरसराई थाना नुरसराई जिला नालदा एम0सी0एस-ई0 83705	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	लखिया देवी पति-महेन्द्र पासवान ग्राम-धमौल पो0-तेउस थाना-जयरामपुर जिला-शेखपुरा एम0सी0एस-एफ 98286	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	शीला देवी पति-गुरु प्रसाद ग्राम-अमई पोस्ट-हसन बाजार थाना-पिरो जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 67978	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
46	नेहा कुमारी पिता-लक्ष्मण यादव ग्राम-कनपा पो0-सैदाबाद थाना-रानी तालाब जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 90672	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

47	राघवेन्द्र राम पिता-गणेश राम ग्राम-करनामेपुर पोस्ट-करनामेपुर थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 99804	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	विमला देवी पति-राम सकल राम ग्राम-कुरकुरी पो0-बनकट थाना-अगियाव जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 97697	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	गुडिया देवी पति-अजय कुमार मडल ग्राम-नवादा पोस्ट-मक्खातकिया थाना-नवगछिया जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 77045	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
50	मुस्ताक भाट पिता-जहूर भाट ग्राम+पो0-कलीगज थाना-कहलगाव जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 97755	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	अहिल्या देवी पति-गोपाल प्रसाद गुप्ता ग्राम-हसनपुर पो0-मेरीगज थाना-रानीगज जिला-अररिया एम0सी0एस-एफ 95589	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	सुमन देवी पति-शकर पाण्डेय ग्राम-मराची गौंधी टोला पो0-मराची थाना-मराची जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 130	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	सतोष प्रसाद पिता-जगदीश प्रसाद ग्राम-भरथुई पो0-धनौती थाना-धनौती ओ0पी0 जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 87351	बोन मैरो ट्रास्टलाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।

54	अनिता देवी पति-लेलहु चौपाल ग्राम-धरेरबा पो0-बराही थाना बिथान जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 98134	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	छित्तन विश्वास पिता-दुखाई विश्वास ग्राम-बसदाहा वार्ड 12 पो0-महमदिया थाना-डगरुआ जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 98030	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	इदु देवी पति-ब्रज किशोर सिंह ग्राम-बसरा काजी पोस्ट-जैतपुर थाना-सरैया जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 98054	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	सुनिता देवी पति-बलिराम साह ग्राम-पकाहन स्टेशन रोड मढौरा पो0-मढौरा थाना-मढौरा जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 74627	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
58	सुरेन्द्र मडल पिता-प्रसाद मडल ग्राम-कोआरी पो0-मझौलिया थाना-बथनाहा जिला-सीतामढी एमसी0एस-एफ 99427	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	प्रभावती देवी पति-बासगीत प्रसाद ग्राम-ईचरी पो0-ईचरी थाना-आयर जिला-भोजपुर एमसी0एस-एफ 80934	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	उमेश राम पिता-बिजुली राम ग्राम-डीह बुचौली पोस्ट-डीह बुचौली थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 85346	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	मास्टर अकित राज प्रभाकर पिता-सत्येन्द्र प्रसाद ग्राम-सदरपुर पो0-निरिया तुलसीपुर थाना-चिकसौरा जिला-नालदा एमसी0एस-एफ 99333	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	रुबी सिंह पति-मनोज सिंह ग्राम+पो0-धमार थाना-मुफसिल जिला-भोजपुर एमसी0एस-ई0 86266	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	अनिता देवी पति-सतोष कुमार राय ग्राम-कुम्हिला वार्ड 03 पो0-अररुआ थाना-करगहर जिला-रोहतास एमसी0एस-एफ 53055	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
64	मोहम्मद असलम पिता-स्व0 मोहम्मद ईशा ग्राम+पो0-मैदा बभनगामा थाना-बीरपुर जिला-बेगुसराय एमसी0एस-एफ 99932	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	शकुन्तला देवी पति-शिव चरण सिंह ग्राम-सरौती पो0-रामपुर चौरम थाना-रामपुर चौरम जिला-अरवल एमसी0एस-एफ 17726	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
66	मधु पंडित पिता-गादो पंडित ग्राम-लाल बिगहा पो0-लाल बिगहा थाना काशीचक जिला-नवादा एमसी0एस-एफ 91021	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	चन्दन साह पिता-काको साह ग्राम-सहा वेस्ट पो0-संहा थाना-साहेबपुर कमाल जिला बेगुसराय एमसी0एस-एफ 99160	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	आरुषि कुमारी पिता-विक्रम कुमार ग्राम-बारडीह पोस्ट+थाना-सिकन्दरा जिला जमुई एमसी0एस-एफ 93854	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
69	हीरा देवी पति-गिरजानंद झा ग्राम-सितुहर पो0-श्रीपुर थाना-प्रतापगंज जिला-सुपौल एमसी0एस-एफ 98672	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	पानमती देवी पति-प्रदीप भगत ग्राम-सियाढी गढ पो0-छाप मठिया थाना-सिवान मुफ्फसिल जिला-सीवान एमसी0एस-एफ 17576	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
71	शिवनाथ चौधरी पिता-मगल चौधरी ग्राम-सरौती पो0-पचरुखी थाना-पचरुखी जिला-सीवान एमसी0एस-एफ 98208	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	बीबी सरमदी पति असफाक ग्राम-चाकदह पो0-महलबाडी थाना-डगरुआ जिला-पूर्णिया एमसी0एस-एफ 98713	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	आरती देवी पति-रामेश्वर राम ग्राम-गदोपुर पो0-मनपुरा थाना बगरा जिला-समस्तीपुर एमसी0एस-एफ 99089	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	मजु देवी पति-उमा शकर राय ग्राम-मालपुर उर्फ दिलावरपुर पो0-मालपुर थाना-पातेपुर जिला वैशाली एमसी0एस-एफ 46840	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

75	गिरधारी मडल पिता-राजेन्द्र मडल ग्राम-तिनटगा पो0-गोरियर थाना-टिकापट्टी जिला-पूर्णिया एमसी0एस-जी0 93	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	जंग बहादुर कुशवाहा पिता-नथुनी कुशवाहा ग्राम+पो0-पानापुर थाना-हरसिद्धी जिला पूर्वी चम्पारण एमसी0एस-जी0 73	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
77	श्रवण कुमार साह पिता-भैरव साह ग्राम-बैदपुर पो0-बैदपुर थाना-शंभुगज जिला-बाका एमसी0एस-एफ 99107	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	मो0 तसलीम पिता-मो0 इदरीश ग्राम-सोन्धो कहरटोली पो0-जोन्धो थाना-गोरौल जिला वैशाली एमसी0एस-एफ 97803	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	बलराम यादव पिता-मानिकचन यादव ग्राम-थलहा पो0-हुलास थाना-राघोपुर जिला-सुपौल एमसी0एस-एफ 99000	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	सुरेन्द्र राय पिता- नन्हक राय ग्राम-रामबाद पो0-पतीला थाना-मनेर जिला-पटना एमसी0एस-एफ 91232	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	चिन्दु कुमार पिता-साधु शरण पासवान ग्राम-फरीदा पो0-फरीदा थाना-रहुई जिला नालदा एमसी0एस-जी0 509	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	मो० बाबुल पिता-मो० जमील ग्राम-कदवा पो०-बायसी थाना-बायसी जिला पूर्णिया एमसी०एस-जी० 967	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	पार्वती देवी पति-शिवनाथ प्रसाद यादव ग्राम-इंग्लीश वार्ड 400 पोस्ट-फरक्का थाना-सबौर जिला-भागलपुर एमसी०एस-एफ 55128	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
84	मजीत कुमार पिता-राम स्वार्थ महतो ग्राम-पहिपुर पो०-शभुपट्टी थाना-कर्पूरी ग्राम जिला-समस्तीपुर एमसी०एस-एफ 99752	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	रामपरी देवी पति-विनय कुमार महतो ग्राम-सिमरी वार्ड 1 पोस्ट-सिमरी थाना-विद्यापति नगर जिला-समस्तीपुर एमसी०एस-जी० 425	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	अमोल महतो पिता-मदन महतो ग्राम-बिरार पोस्ट-बेला शाति कुटीर थाना-नानपुर जिला-सीतामढी एमसी०एस-एफ 96880	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	मालती देवी पति-राजेन्द्र प्रसाद पटेल ग्राम+पो०-सलेमपुर थाना-सिधवलीया जिला-गोपालगंज एमसी०एस-जी० 435	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	कृष्णा कुमार पिता-धनमुन साह ग्राम-बरुहा पो०-बरुहा थाना-बगेगोला जिला-बक्सर एमसी०एस-एफ 98889	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

89	सृष्टि कुमारी पिता-रुदल महतो ग्राम-जदुआ चिस्ती पो0-जदुआ थाना-गगाब्रिज जिला-वैशाली एमसी0एस-एफ 76031	बोन मैरो ट्रास्प्लान्ट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
90	अर्जुन कुमार गुप्ता पिता-अजय कुमार गुप्ता ग्राम-गगापट्टी पोस्ट-लहेरिया सराय थाना-बहादुरपुर जिला-दरभंगा एमसी0एस-एफ 99084	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	छविला देवी पति-बुद्धा राज चौधरी ग्राम-सहुआर पो0-करगहर थाना-करगहर जिला-रोहतास एमसी0एस-जी0 24	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
92	मोहन प्रसाद पिता-संतलाल प्रसाद ग्राम-बहादुरपुर पो0-सानी बसतपुर थाना-जी0बी0 नगर जिला-सीवान एमसी0एस-एफ 54990	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
93	मिस्टर पिता-मन्नान ग्राम केशोपुर पो0-बलतर थाना-आजम नगर जिला-कटिहार एमसी0एस-एफ 99238	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
94	राम पारस सिंह पिता-सरयुग सिंह ग्राम-अन्हरा छपरा पो0-राजपुर थाना-कल्याणपुर जिला-पूर्वी चम्पारण एमसी0एस-एफ 98961	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	चद्रदेव सिंह पिता-स्व0 शिव नदन सिंह ग्राम+पो0-डेढगाव थाना-काशीचक जिला-नवादा एमसी0एस-एफ 90743	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

96	प्रेमा कुमारी पति-स्व० सजय कुमार सिन्हा ग्राम-नवादा पोस्ट-मुबारकपुर थाना-फुलवारी जिला-पटना एमसी०एस-एफ 88092	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	सुजनी देवी पति-अमरनाथ यादव ग्राम-मोतजाना शहारनपुर पो०-दभरा थाना-ताराबाडी जिला-अररिया एमसी०एस-एफ 98790	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	राजमनी देवी पति-नरेश सिंह ग्राम-फतेहपुर वार्ड 12 पोस्ट-फतेहपुर थाना-दीदारगज जिला-पटना एमसी०एस-एफ 60074	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
99	महेन्द्र भगत पिता-बासुदेव पासवान ग्राम-जाफरपट्टी हरपुर मकुद पो०-जाफरपट्टी थाना-राजा पाकड जिला-वैशाली एमसी०एस-एफ 99028	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	फुलेश्वरी देवी पति-गंगा बिशुन राय ग्राम-बघरा पो०-बघरा थाना शाहपुर पटोरी जिला-समस्तीपुर एमसी०एस-एफ 57139	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	श्रीकान्त शर्मा पिता-राम बिलाश शर्मा ग्राम+पो०-डुमरा थाना-कोच जिला-गया एमसी०एस-एफ 98715	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	रामबडाई पाण्डेय पिता-दीना पाण्डेय ग्राम-गलिमापुर पो०-सेमरिया थाना नौतन जिला-सीवान एमसी०एस-जी० 780	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

103	सोनवा देवी पति-अतदेव दास ग्राम-मझौली वार्ड 09 पो0-सलैया थाना-सुहैल जिला-गया एमसी0एस-एफ 95981	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
104	रासो देवी पति-हीरा लाल सदय ग्राम-नदियामीघाट पो0-नारयणपुर थाना-सकतपुर जिला-दरभंगा एमसी0एस-जी0 656	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	मिन्ता देवी पति-जालिम सिंह ग्राम-भाथा दासी पो0-बसरा थाना-राजा पाकर जिला वैशाली एमसी0एस-एफ 88420	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	साधना देवी पति-राम कुमार दास ग्राम-कन्हौली बिशुनदत पो0-रमणा थाना-मिठनपुरा जिला-मुजफ्फरपुर एमसी0एस-डी0 12691	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	संझारीया देवी पति- राम अशीष प्रसाद ग्राम-सिगही पो0-हुसैनगज थाना-आन्दर जिला-सीवान एमसी0एस-एफ 82224	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
108	सीमा देवी पति-धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय ग्राम-अमावों 12 पोस्ट-बशगोपाल थाना रजौली जिला-नवादा एमसी0एस-एफ 4310	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
109	कनिया देवी पति-राम जतन मडल ग्राम-जासो पो0-बासोपट्टी थाना-बासोपट्टी जिला-मधुबनी एमसी0एस-एफ 85298	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

110	सुरेन्द्र सिंह पिता-शिव शकर सिंह ग्राम-कोध पो0-रामपुर रूद्रा थाना-पानापुर जिला-सारण एमसी0एस-जी0 907	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
111	विक्रांत कुमार पिता-मनोज कुमार ग्राम-पैगम्बरपुर पो0-मनीअडडा थाना-सिरारी जिला-शेखपुरा एमसी0एस-एफ 99920	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
112	सरस्वती देवी पति-ओम प्रकाश गुप्ता ग्राम-भिखनाठोरी पो0-भिखनाठोरी थाना-सहोदरा जिला-प0 चम्पारण एमसी0एस-एफ 99149	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
113	बरती देवी पति-कामेश्वर चौधरी ग्राम-रेवारा पो0-चाकन्द थाना-बेलागज जिला गया एमसी0एस-एफ 96355	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
114	शम्स तबरेज पिता-असगर कमाल ग्राम-हल्दी खोडा पो0-हल्दी खोडा हार्ट थाना-कोचा धामन जिला किशनगज एमसी0एस-एफ 92804	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
115	सरयुग यादव पिता-ब्रदी यादव ग्राम-इस्लाम नगर पो0-इस्लाम नगर थाना-चन्द्रदीप जिला-जमुई एमसी0एस-एफ 34882	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
116	मजु देवी पति-नरेश महतो ग्राम-पानापुर सिलोथर वार्ड 1 पो0-काला पहाड थाना-जन्दाहा जिला वैशाली एमसी0एस-एफ 97903	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

117	मो० साबिर पिता-मो० जुनाब ग्राम-कछुआ वार्ड 17 पो०-चकौती थाना-जाले जिला दरभंगा एमसी०एस-एफ 98153	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
118	विपिन कुमार पिता-किसुन साव ग्राम-किशनपुर पो०-मनकट्टा थाना-अमहरा जिला-लखीसराय एमसी०एस-ई० 38124	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
119	बिसुनदेव ठाकुर पिता-पानालाल ठाकुर ग्राम-नया नगर कचहरी पो०-लखीसराय थाना-कवैया जिला-लखीसराय एमसी०एस-एफ 99118	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
120	मन्ना कुमार पिता-शिव शकर साव ग्राम-टेटु बाजार पर 03 पो०-अतरी थाना-अतरी जिला-गया एमसी०एस-एफ 99844	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
121	मैतुल्लाह असारी पिता-अब्दुल मजीद असारी ग्राम-जिरात पो०-बिरौल थाना-घनश्यामपुर जिला-दरभंगा एमसी०एस-जी० 675	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
122	सबिता कुमारी पिता रविन्द्र पडित ग्राम+पो०-बिदुपुर बाजार थाना-बिदुपुर जिला-वैशाली एमसी०एस-एफ 94324	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
123	काति देवी पति-स्व० रामानन्द साह ग्राम-हरनीचक वशिष्ठ कोलनी मोड, पो०-अनिसाबाद थाना-बेउर जिला-पटना एमसी०एस-एफ 95509	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

124	रूबी देवी पति-राजीव कुमार पाठक ग्राम-पो0-हरपुर ऐलोथ थाना-मुसरी घरारी जिला-समस्तीपुर एमसी0एस-एफ 88967	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
125	अभिषेक कुमार पिता-अमोद साव ग्राम-मझौली वार्ड 15 पो0-अख्तियारपुर थाना-बिक्रम जिला पटना एमसी0एस-एफ 52719	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
126	कुरैसा खातुन पति-मुन्ना खान ग्राम-मानिकपुर उत्तर टोला पो0-मानिकपुर थाना-बनियापुर जिला-सारण एमसी0एस-एफ 86403	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
127	श्रीदेव सिंह पिता-स्व0 बलिष्ठ सिंह ग्राम-सोनवर्षा पो0-मथुरापुर थाना+जिला खगडिया एमसी0एस-एफ 99232	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
128	सजय सहनी पिता-स्व0 लक्ष्मनादेव सहनी ग्राम-हसनपुर पो0-हसनपुर मठिया थाना-सिधवलीया जिला-गोपालगज एमसी0एस-जी0 166	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
129	इन्दु देवी पति-ललित कुमार ग्राम-बोकनारी खुर्द वार्ड 09 पो0-सोलहंडा थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद एमसी0एस-जी0 580	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
130	शशि वन्दना कुमारी पति-मुकेश कुमार ग्राम-बीकानेरी कला वार्ड 10 पो0-पाई बिगहा थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद एमसी0एस-एफ 98521	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

131	सत्य नारायण यादव पिता— विपत यादव ग्राम—चौघारा पो0—हरदी थाना+जिला—सुपौल एमसी0एस—एफ 96950	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
132	उर्मिला देवी पति—राजेन्द्र यादव ग्राम—बाली के टोला ख्वासपुर पो0—कचहरी थाना—कृष्णागढ़ जिला—भोजपुर एमसी0एस—एफ 96761	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
133	मंजु देवी पति—बिजुली सहनी ग्राम—रघुनाथपुर पो0—मोतिहारी थाना—तुरकौलीया जिला पूर्वी चम्पारण एमसी0एस—एफ 86270	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,05,30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,05,30,000/- (एक करोड़ पाँच लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0—30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196974 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम—'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

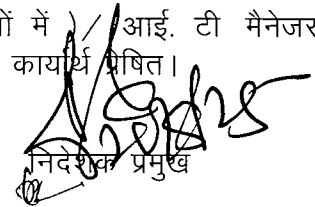
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2325(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 126977 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यालय प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सो 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजनारायण प्रसाद यादव पिता- ओम प्रकाश राय ग्राम+पो0- अट्टा थाना- मढौरा जिला- सारण सीआर न0- 108112501846987	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	विश्वनाथ ठाकुर पिता- रामजी ठाकुर ग्राम+पो0- कुल्हरिया थाना- बाबुबरही जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112501827028	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	बन्दे लाल यादव पिता- दाना लाल यादव ग्राम+पो0- द्वालख थाना- भेजा जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112300058000	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	बहादुर गोईत पिता- बेचैन गोईत ग्राम- श्रीपुर वार्ड 05 पो0- श्रीपुर थाना-प्रतापगंज जिला- सुपौल सीआर नं०- 108112300813347	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मो० शहीद रजा पिता- मो० अख्तर ग्राम+पो०- शाहपुर उण्डी थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर सीआर नं०- 108112501356025	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	ब्रह्मदेव मिश्रा पिता- स्व० प्रयाग मिश्रा ग्राम- अल्लहदादपुर पो०-चक अल्लहदाद थाना- वैशाली जिला- वैशाली सीआर नं०- 108112501991511	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	नीतू देवी पति- सोहन सिंह ग्राम- परसवा वार्ड 07 पो०- परसवा थाना- एन०टी०पी०सी० जिला- पटना सीआर नं०- 108112501815232	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	मो० फैयाज असारी पिता- मो० सुल्तान अहमद असारी ग्राम- धामापुर पो०- बधुगज थाना- घोषी जिला- जहानाबाद सीआर न०- 108112501893934	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सुषमा देवी पति- अरुण सिंह ग्राम- छुमरी वार्ड 11 पो०- निश्चलगज थाना-परवलपुर जिला- नालंदा सीआर न०- 108112501208808	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	जयमंती देवी पति- सुनील कुमार ग्राम- महम्मदपुर वार्ड 09 पो०- रसिसा थाना- औगारी जिला- नालंदा सीआर न०- 108112501944075	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	जयनारायण प्रसाद मडल पिता- शिवन मडल ग्राम- कजरा वार्ड 11 पो०- गिद्धा थाना- शंकरपुर जिला- मधेपुरा सीआर न०- 108112501278211	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	राजेश कुमार पिता- विजय प्रसाद ग्राम सुल्तानपुर त्रिमूर्ति नगर पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना सीआर न0- 108112501844861	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	अलीशेन असारि पिता- नूरमहम्मद मिया ग्राम- झखरा वार्ड 08 पो0- झखरा थाना- जगदीशपुर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112300462501	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	रफिया खानम पति- मो0 फैयाज अहमद खान ग्राम- आशापुर वार्ड 20 पो0+थाना- बहेरा जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112501744491	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	चम्पा देवी पति- राजदेव महतो ग्राम- कसमर पो0- खरिका थाना- सोनपुर जिला- सारण सीआर न0- 108112501589801	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	सागेन्द्र पासवान पिता- धुरन पासवान ग्राम- कुम्हरा पो0- आरापट्टी थाना- महिषी जिला- सहरसा सीआर न0- 108112501915113	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	रीणा देवी पति- कमलेश चौधरी ग्राम- विशनुपट्टी वार्ड 08 पो0- मराई थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली सीआर न0- 108112501876622	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	आरती देवी पति- अशोक गोस्वामी ग्राम- बाबूबरही वार्ड 12 पो0+थाना- बाबूबरही जिला- मधुबनी सीआर नं0- 108112501247005	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	राकीला खातुन पति- बलाल ग्राम- पानापुर वार्ड 03 पो0- पानापुर थाना- बीरपुर जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112500948620	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	सैयारा खातून पति- अबू बसर ग्राम- कुकरौन अमारी पो0- अमारी ककरौन थाना- धमदाहा जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112501834423	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	अजू देवी पति- अनिल यादव ग्राम- सोवान वार्ड 07 पो0- सोवान थाना- कृष्णब्रह्म जिला- बक्सर सीआर न0- 108112300176541	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	पथलु बहादुर पिता- चलतर बहरदार ग्राम- गढिया खैरा पो0- खैरा थाना- नरपतगंज जिला- अररिया सीआर नं0- 108112501160767	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	उर्मिला कुमारी पति- राजीव कुमार ग्राम- नारायणपुर वार्ड 10 पो0- बिरा लखन सेन थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर न0- 108112500886471	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	मो0 जहागीर पिता- नसीरुद्दीन ग्राम- पीपलबाडी वार्ड 11 पो0- छतरगाछ थाना- पोठिया जिला- किशनगंज सीआर न0- 108112502005757	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	उर्मिला देवी पति- अनूठा राय ग्राम- कुदरकट वार्ड 02 पो0- कुदरकट थाना- दौडादानो जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं0- 108112500709293	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	प्रभावती देवी पति- बिहारी राय ग्राम- जटिश बाजिदपुर पो0- मेहरौली थाना- डोरीगज जिला- सारण सीआर नं0- 108112502044779	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	हरे राम साफी पिता- बिकाउ साफी ग्राम- नवटोली पो0- महिदवार नवटोली थाना- फुलपरास जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112501641960	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	आभा खातून पति- मुस्तकीम मिया ग्राम- झखरा वार्ड 09 पो0- झखरा थाना- जगदीशपुर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112501843775	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	हरिलाल राय पिता- चलितर राय ग्राम- गंगा प्रसाद पो0- सितनाबाद थाना- सिमरीबख्तियारपुर जिला- सहरसा सीआर न0- 108112403049815	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	मो0 शोएब आलम पिता- हसीबूरहमान ग्राम- विधायक टोला सिसौना पो0+थाना- जोकिहाट जिला- अररिया सीआर न0- 108112502886237	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	देववती देवी पति- सुरेश कुमार मडल ग्राम- सिनवारी वार्ड 06 पो0- घाट चिकनी थाना- सोनमणि गोदाम जिला- अररिया सीआर न0- 108112500680643	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	किशोरी पासवान पिता- चटकु पासवान ग्राम- मोतीपुर साढा डमबर पो0+थाना- मोतीपुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112401764304	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	सोनाझरी देवी पति- उपेंद्र साव ग्राम+पो0- महजपुरा थाना- बिक्रम जिला- पटना सीआर न0- 108112500921900	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	इद्रा देवी पति- लाली पासवान ग्राम- लोदिया बालूपर वार्ड 07 पो0- दामोदरपुर थाना- लखीसराय जिला- लखीसराय सीआर नं0- 108112500993021	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	सिरजन बिन्द पिता- प्यारे बिन्द ग्राम- खावा राजपुर वार्ड 09 पो0- किरनपुर थाना- मेदनीचौकी जिला- लखीसराय सीआर न0- 108112501536309	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	मीना देवी पति- अमीर साह ग्राम- सोनवर्षा घाट वार्ड 06 पो0- सोनवर्षा घाट थाना- चौथम जिला- खगडिया सीआर न0- 108112403787727	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	साजदा खातून पति- अब्दुल जब्बार ग्राम- रसूलाबाद पो0- बलहमपुर थाना- सिमरीबख्तियारपुर जिला- सहरसा सीआर न0- 108112501322953	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	बिन्देश्वरी मोची पिता- करमु मोची ग्राम- चमार टोली पो0- औटा थाना- हाथीदह जिला- पटना सीआर न0- 108112500314086	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	फूल कुमारी देवी पति- भोला सहनी ग्राम- हरिहरपुर खेडी वार्ड 09 पो0- मसीना थाना- खानुपर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112501758140	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	प्रभुनाथ सिंह पिता- सत्यदेव सिंह ग्राम- सबिली पो0- खजुहट्टी थाना- बैकुण्ठपुर जिला- गोपालगंज सीआर न0- 108112501249288	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	पंकज मिश्रा पिता- इंद्रानंद मिश्रा ग्राम- शंकरपुर वार्ड 02 पो0- शंकरपुर थाना- भरगामा जिला- अररिया सीआर न0- 108112501178127	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	शांति देवी पति- सुरेंद्र प्रसाद सिंह ग्राम- कुल्हरिया वार्ड 07 पो0- कुल्हरिया थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112501276374	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	गोलू कुमार पिता- लक्ष्मण कुमार ग्राम- जमनबिगहा वार्ड 05 पो0- खलिलाबाद नेतौल थाना- कादिरगंज जिला- पटना सीआर न0- 108112501985901	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	रुक्मिणी देवी पति- गौरीशंकर पासवान ग्राम- माधोपुर वार्ड 06 पो0+थाना- लौकहा जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112500372701	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	रिकू देवी पति- ललन प्रसाद ग्राम- ब्रह्मपुर बाजार वार्ड 28 पो0+थाना- फुलवारी शरीफ जिला- पटना सीआर न0- 108112501495955	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	पुष्पा देवी पति- शम्भू शरण सिंह ग्राम- चिहुनिया पो0- खदौच थाना- खैरा जिला- जमुई सीआर न0- 108112501148210	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	अमरजीत पटेल पिता- बागेश्वर प्रसाद ग्राम- बनकट वार्ड 07 पो0- बतरदेह थाना- बरौली जिला- गोपालगंज सीआर न0- 108112500818718	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	अमित चौधरी पिता- घनश्याम चौधरी ग्राम- पोखराम वार्ड 12 पो0- पोखराम थाना- बिरौल जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112403249890	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
49	देव कुमार साह पिता- मुनेश्वर साह ग्राम+पो0- चिरांद थाना- डोरीगंज जिला- सारण सीआर न0- 108112501474273	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
50	विमला देवी पति- तुला कृष्ण साहू ग्राम- मोहिम चुरद वार्ड 03 पो0- कुशेश्वर सीन थाना- के अस्थान जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112501899622	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
51	बिशम्भरी देवी पति- चन्दन सुमन ग्राम- नीमा वार्ड 05 पो0- चांदपुरा थाना- निमाचंदपुरा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112300984273	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
52	अनिल कुमार पंडित पिता- राम ईश्वर पंडित ग्राम- सोनपुर आदम पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण सीआर न0- 108112400691192	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
53	मो0 अकरम पिता- मो0 अनवर ग्राम- मिर्जापुर पो0- मदारीपुर थाना- बाजपट्टी जिला- सीतामढ़ी सीआर न0- 108112501247668	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

54	अभिलाषा देवी पति- रमन कुमार सिंह ग्राम- पटोरी वार्ड 11 पो0- पचगछिया थाना- बिहरा जिला- सहरसा सीआर नं0- 108112400163935	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
55	रूना देवी पति- राज कुमार राय ग्राम- बहादुरपुर अरमौली टोले बनघारा वार्ड 18 पो0- बनघारा थाना- घटहो जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112403199957	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
56	अर्जुन कुमार पिता- जगरनाथ राम ग्राम- दीघा पो0- खुरहिया थाना- घोडासाहन जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं0- 108112500402627	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
57	अनीता देवी पति- नेमी पाडेय ग्राम- अदिया वार्ड 08 पो0- बडहरवा कला थाना- कोटवा जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112301271327	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
58	रिकी देवी पति- मनोज रजक ग्राम- चकवाजोमलहि वार्ड 10 पो0- गरही थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली सीआर न0- 108112300556522	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
59	प्रतियूल कुमार पिता- सिकेन्द्र दास ग्राम- कहरा वार्ड 11 पो0- करहा थाना- सहरसा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112501666393	कोकलियर इम्प्लान्ट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
60	पुष्पा कुमारी पिता- घनश्याम मडल ग्राम- गगवारा पो0- बलीगढ थाना- रून्नीसैदपुर जिला- सीतामढी सीआर नं0- 108112501202745	कोकलियर इम्प्लान्ट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।

61	महेन्द्र विश्वास पिता- स्व० सुकदेव विश्वास ग्राम- दमदमा पो०- अहिलगाँव थाना- कसबा जिला- पूर्णियाँ सीआर न०- 108112501888612	हीप रिप्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
62	रेनू देवी पति- भगवान प्रसाद ग्राम+पो०- लतिहानवा थाना- आदापुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 108112300865428	हर्निया रोग	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
63	रिकू कुमारी पति- नितीश कुमार ग्राम- बभना वार्ड 01 पो०- बभना थाना- जहानाबाद नगर जिला- जहानाबाद सीआर न०- 108112403002304	टोटल हीप रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
64	विकास कुमार पिता- राम प्रवेश राय ग्राम- महमदपुर बरन पो०- रेपुरा महादेव थाना- पारू जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न०- 108112401527906	LRKTR	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
65	छोटू प्रसाद पिता- राधे राम ग्राम- सिधुआ टोली बेलवरगज वार्ड 58 पो०- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना सीआर न०- 108112501179476	गैस्ट्रो सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
66	इन्द्रदेव कुमार पंडित पिता- नट्ट पंडित ग्राम- बनकट्टा पो०- मोहनपुर थाना- रूपौली जिला- पूर्णियाँ सीआर न०- 108112501921407	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
67	शिदम बेगम पति- इसाक मियां ग्राम- सुगाव डीह पो०- सुगाव थाना- सुगौली जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 108112501853452	ब्रेन ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

68	मो० साकिब पिता- मो० असलम ग्राम- भोकराहा पो०- खेमचद थाना- कै नगर जिला- पूर्णियाँ सीआर न०- 108112500064454	द्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
69	सपना कुमारी पिता- राम प्रवेश यादव ग्राम- थल्लू बिगहा वार्ड 06 पो०- लखावर थाना- घोषी जिला- जहानाबाद सीआर न०- 108112501293520	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
70	सचिन बर्मन पिता- अनत दादूराम बर्मन ग्राम- नियर कैनरा बैक इन्द्रपुरी केसरी नगर पो०- केशरी नगर थाना- पाटलीपुत्रा जिला- पटना सीआर न०- 108112501285179	द्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
71	प्रमोद नाथ झा पिता- इन्द्रनाथ झा ग्राम+पो०- जमालपुर गोगरी थाना- गोगरी जिला- खगडिया सीआर न०- 108112501888353	Cataract Surgery	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
72	राम विनय सिंह पिता- राम नारायण सिंह ग्राम- महम्मदपुर वार्ड 01 पो०- कोठिया थाना- दीदारगज जिला- पटना सीआर न०- 108112501579326	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
73	बिलकिस शहजादी पति- इफतेखान अहमद ग्राम- धरमपुर वार्ड 05 पो०- निकाशी थाना- कमतोल जिला- दरभंगा सीआर न०- 108112501748748	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
74	रजीता सिन्हा पति- मुनमुन सिन्हा ग्राम- किशुनीपुर वार्ड 01 पो०- अकोढा थाना- दिनारा जिला- रोहतास सीआर न०- 108112300355411	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

75	अजय कुमार सिंह पिता- सखिचन्द मडल ग्राम- परशुरामचक पो0- रामपुर थाना- अतीचक जिला- भागलपुर सीआर नं0- 108112501921806	Pancreatic Body Neoplasm	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
76	सोनी कुमारी पति- सजय कुमार ग्राम- सरैया वार्ड 12 पो0- सरैया थाना- कृष्णागढ जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112501282251	हर्निया रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
77	निरजन शर्मा पिता- हरिचरण शर्मा ग्राम+पो0+थाना- मकेर जिला- सारण सीआर नं0- 108112502175539	हर्निया रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
78	सुचिन्द्र साह पिता- हरि नारायण साह ग्राम- कस्बा मकेर पो0+थाना- मकेर जिला- सारण सीआर नं0- 108112502175351	Complex fistula	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
79	हरेन्द्र राम पिता- बुटन राम ग्राम- श्यामचक पो0+थाना- भगवान बाजार जिला- सारण सीआर न0- 108112403280347	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	आदर्श नदन सहाय पिता- स्व0 रवि नदन सहाय ग्राम- 29 अलखनंदा अपार्टमेट दिप नारायण सिंह कॉलेज पो0+थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना सीआर नं0- 108112500401264	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	मालती देवी पति- सकलदेव प्रसाद यादव ग्राम- भेरखिया पो0- टिकुलिया थाना- पीपरा जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112501427950	स्पाइनल सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

82	अमृता देवी पति- विपिन कुमार सिंह ग्राम+पो0- सरसर थाना- सिवान जिला- सिवान केस फाईल न0- 108112402890869	Chronic Calculus Cholecyst itis Surgery	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
83	अजय प्रसाद पिता- भगवत प्रसाद ग्राम- नियर बिराटपुर अखारा पो0- औरगाबाद थाना- टाउन जिला- औरगाबाद सीआर न0- 108112500610807	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
84	कबिता देवी पति- मिटू कुमार ग्राम+पो0- ब्यापुर थाना- मनेर जिला- पटना सीआर न0- 10811240322147	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	प्रिस राज पिता-अशोक कुमार ग्राम-महादेव बिगहा पो0-जमनगज थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद सीआरन0-108112300673450	Nepbutre syendrom	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
86	इन्द्रजीत कुमार पिता-नरेश राय ग्राम-नुरपुर चादमारी पो0-चांदमारी थाना-शाहपुर जिला पटना सीआरन0-108112300270882	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			69,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 69,80,000/- (उनहत्तर लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~176774~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना"खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2326(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 176974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में !

निदेशक,

महावीर आरोग्य संस्थान,

नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज,

अपोजीट पेट्रोल पम्प,

ककडबाग, पटना- 800020

पटना, दिनांक..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चन्दरी देवी पति- धनजय मेहता ग्राम- भोपातपुर मो०- सिरिस थाना- बरुण जिला- औरंगाबाद रजि न०- 2526/19825	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 126774 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1843085503 खाता धारक का नाम-निदेशक "महावीर आरोग्य संस्थान, नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज, कंकडबाग पटना 20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चिरैयाटांड, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0282213 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2327(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196774 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

'जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों, के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लाल बाबू साह पिता- स्व० रघुवीर साव ग्राम- सालिम्पुर अहरा पो०- कदमकुआ थाना- गांधी मैदान जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176274 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2328/14)

पटना, दिनांक 21/8/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

फूलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	खुशी कुमारी पिता— रामबाबू राय ग्राम— सीतलपुर सिवाना पो०— सीतलपुर थाना— दरियापुर जिला— सारण	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	साबन कुमार पिता— सोनू कुमार चौधरी ग्राम— हेलबाजार टीयर टोली वार्ड 16 पो०+थाना— हाजीपुर जिला— वैशाली	एप्लास्टि एनिमा	1,00,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	लक्ष्मी साहा पति— विनीत कुमार साहा ग्राम— पश्चिमी नवादा वार्ड 39 पो०— नवादा थाना— आरा नवादा जिला— भोजपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,40,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196774 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 579310110008985 खाता धारक का

नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2329(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 1969.7 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक ...

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सोनी कुमारी पिता- हरेराम पांडेय ग्राम- भटवलिया पो०- खबसि थाना- बनियापुर जिला- सारण यूएचआईडी नं०- 30000576191	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	जुमेरा खातुन पति- सगीर उद्दीन ग्राम- कुढैली पो०- बीबीगंज थाना- कोधोबरी जिला- किशनगंज यूएचआईडी नं०- 3000584519	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	अनिल कुमार सिंह पिता- बालेश्वर सिंह ग्राम- हरिओ पो०- सिविल एरोड्रस थाना- मगध मेडिकल्स जिला- गयाजी यूएचआईडी नं०- 3000589329	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	कुमार गौरव पिता- अनूप लाल सिंह ग्राम- निशिबूचक पो०+थाना- फतूहा जिला- पटना यूएचआईडी नं०- 3000560814	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	सलाम पिता- अब्दुल गुफार ग्राम- बलवाटोली पो0- हफनिया थाना- अमौर जिला- पूर्णिया यूएचआईडी न0- 3000576803	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	विमल ठाकुर पिता- भूपन ठाकुर ग्राम+पो0+थाना- बिरौल जिला- दरभंगा यूएचआईडी न0- 3000592417	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	रेखा देवी पति- दीपनारायण दास ग्राम- हरिपुर कृष्णा पो0- सिंहो थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर रजि न0- अंकित नहीं है।	हृदय रोग एमवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			4,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196974 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

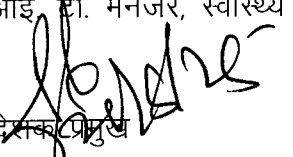
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2330(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...~~176774~~...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनीष ठाकुर पिता- नवल ठाकुर ग्राम- चक जमाल पो0- सहदेई बुजुर्ग थाना- सहदेई ओपी जिला- वैशाली	स्पाईन सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
2	केदार राय पिता- भगवान राय ग्राम- कुबेर चक धण्डीहा पो0- कुल्हरिया थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर	स्पाईन सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
3	आलोक सुमन पिता- अजय कुमार ग्राम- शिवनगर पो0- हब्बीपुर थाना- परवलपुर जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
4	कमल देव राय पिता- सियाशरण राय ग्राम+पो0- भटौरा थाना- हथौडी जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	महल देवी पति- स्व० लालबाबु सहनी ग्राम- नखास चौक पो०+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
6	ज्योति कुमारी पति- सजय प्रसाद ग्राम- ताजपुर पो०- तिलकई थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
7	सत्येन्द्र सिंह पिता- स्व० शिव कुमार सिंह ग्राम- जलालपुर पो०+थाना- करहगर जिला- रोहतास	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	राहुल कुमार पिता- उपेद्र महतो ग्राम- गौधी ग्राम बिनटोली पो०+थाना- कुर्सेला जिला- कटिहार	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
9	शांति देवी पति- मोती लाल प्रसाद ग्राम- चादपुर बेला दिवाकर मेडिकल गली पो०- जी०पी०ओ० थाना- जक्कनपुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
10	नूतन कुमारी पति- राजेश कुमार यादव ग्राम+पो०+थाना- पोठिया जिला- कटिहार	स्पाईन सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
11	काति राय पति- मदन राय ग्राम- खरौना पो०- करत तरारी थाना- तरारी जिला- भोजपुर	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
12	सीमा कुमारी पति- सुधीर कुमार ग्राम+पो०- बाराजोर थाना- झांझा जिला- जमुई	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	गुडिया देवी पति- अनंत कुमार ग्राम+पो०- सरेजा थाना- राजपुर जिला- बक्सर	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

14	सजीत कुमार पिता— नथो सिंह ग्राम— महुली पो0— कोठिया थाना— दीदारगज जिला— पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			12,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,10,000/- (बारह लाख दस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~196774~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-39196290026 खाता धारक का नाम—KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार— बैंक का नाम— स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—एस०बी०आई० ग्राउंड फ्लोर ओजोन प्लाजा नीयर आर०पीएस० मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

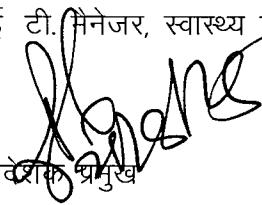
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2331(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~196774~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्जाफ आर्थो स्पाइन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक.

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुशीला देवी पति- दीनानाथ झा ग्राम+पो०- तरौनी थाना- बहेडा जिला- दरभंगा	ट्रामा	55,000	पचपन हजार स्वीकृत।
2	शत्रुहन साहू पिता- शनिचर साहू ग्राम- बेहटा पो०- कन्हौली थाना- मनीगाछी जिला- दरभंगा	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	रामोतार साह पिता- द्वरिका साह ग्राम- नया बाजार पो०+थाना- सहरसा जिला- सहरसा	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	विकाश कुमार पिता- राम प्रमोद चौधरी ग्राम- गोदाइ पट्टी पो०- बघला थाना- मोरो जिला- दरभंगा	ट्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
5	शिव सागर देवी पति- जागेश्वर मडल ग्राम- बिशनपुर पो०- डुमरा थाना- सीतामढी जिला- सीतामढी	हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

6	मिथुन कुमार पिता- लक्ष्मण राय ग्राम- महाराजपुर पो0- हरिनगर थाना- के अस्थान जिला- दरभंगा	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
7	पवन महतो पिता- रामसेवक महतो ग्राम- सिरखडिया थाना- झंझारपुर जिला- मधुबनी	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 5,10,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,10,000/- (पाँच लाख दस हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~196974~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम-डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2332(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ~~196974~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आदित्य कुमार पिता- सुमन कुमार शुक्ला ग्राम-पो0- जलालपुर थाना- लालगंज जिला- वैशाली	Robotic Nephrectomy	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			50,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 50,000/- (पचास हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० ~~196971~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन

एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रह है।
उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

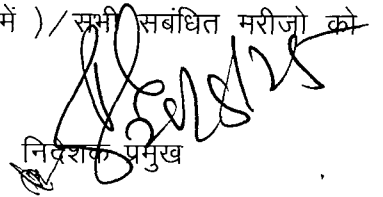
ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2333(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं०. 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

2334(14)

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,

फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (फा०) लि०,

रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक 21/8/2025

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शेषनाथ पुरी पिता- गोरख पूरी ग्राम- सवरी पूरी टोला पो०+थाना- जलालपुर जिला- सारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	श्रीराम पासवान पिता- प्रह्लाद पासवान ग्राम+पो०- सोनागोपालपुर थाना- गोपालपुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	हरि प्रसाद सिंह पिता- शिव लाल सिंह ग्राम+पो०- भदवर थाना- बगेगोला जिला- बक्सर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	जीतेन्द्र कुमार ताती पिता- स्व० कृष्णा प्रसाद ग्राम- छोटी बाजार मोघलपुरा पो०- पटना सिटी थाना- खाजेकला जिला- पटना	Lap Nephrectomy	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
5	पूजा कुमारी पति- अमन कुमार ग्राम+पो०- जयदेवपट्टी थाना- घनश्यामपुर जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			3,60,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~176974~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **31792937290**, खाता धारक का नाम— **फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड**, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—**स्टेट बैंक आफ इण्डिया**, शाखा का नाम—**हनुमान नगर पटना**, RTGS/IFSC कोड सं0 **SBIN0009005** में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

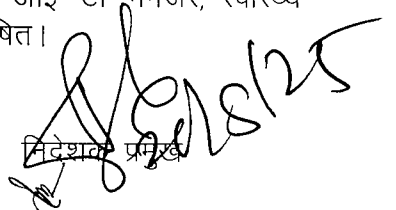
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2334(14)

पटना, दिनांक 21/8/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ~~176974~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में

अधीक्षक,

श्री साईं हौस्पिटल

(हार्ट युनिट) ई०-143

साउथ मलाही पकड़ी चौक

कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बिनोद कुमार सिन्हा पिता— स्व० नवीन चन्द्र लाल ग्राम— चद्रा निवास डॉ० बी० भट्टाचार्य मेन रोड वेस्ट पटेल नगर पो०+थाना— शास्त्रीनगर जिला— पटना.	हृदयर रोग पीटीसीए	1,90,000	एक लाख नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176774 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-50200037828274 खाता धारक का नाम—“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—एच०डी०एफ०सी० पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

- कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाय। आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2335(14)

पटना, दिनांक 21/8/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रजनीश कुमार पिता— ईश्वर चंद्र पाठक ग्राम+पो0— मलाही थाना— सुरसंड जिला— सीतामढ़ी	ट्रामा	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
			70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 70,000/- (सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~176977~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 440720110000219 खाता धारक का नाम—“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा0 लि0” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर0 एन0 कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड स0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री

चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

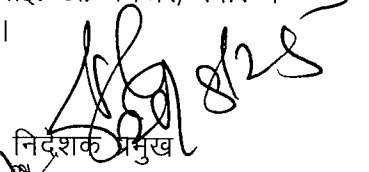
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2336 (14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 19697.4 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक...

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	डॉली कुमारी पिता- विशेश्वर मेहता ग्राम- फकीरना पो०- मोतीपुर थाना- करजाईन जिला- सुपौल	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	जवाहर साह पिता- नारायण साह ग्राम+पो०- महतो मुसेहरी थाना- मुफसिल जिला- सारण	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	सजीव कुमार पिता- रामप्रवेश सिंह ग्राम- चकसुरत पो०- नन्दलालबाद थाना- गौरीचक जिला- पटना	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	काशी नरेश ठाकुर पिता- स्व० रामबृक्ष ठाकुर ग्राम- करवा बलराम पो०+थाना- करपी जिला- अरवल	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मो० नेयाजु कुरैशी पिता- अयूब कुरैशी ग्राम+पो०+थाना- कोइलवर जिला- भोजपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	कुंदन कुमार पिता- राजेश चौधरी ग्राम- पडुरी पो०- सोहगी थाना- नासरीगज जिला- रोहतास	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
7	रंजीत सिंह पिता- सचिदानंद सिंह ग्राम+पो०- सरेया बसत थाना- तरैया जिला- सारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	जीतेन्द्र कुमार पिता- विश्वनाथ महतो ग्राम- बडी पटन देवी कॉलोनी पो०- गुलजारबाग थाना- आलमगंज जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	उदय शकर प्रसाद पिता- स्व० भानु प्रसाद ग्राम- खजाचीरोड शकर मार्केट पो०- बाकीपुर थाना- पीरबहोर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			6,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,20,000/- (छः लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~176774~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- **440720110000498** खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **बैंक आफ इंडिया**, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5

यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6

स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

2337(14)

पटना, दिनांक

21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~196974~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01 /2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेक्टर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक

विषय — मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है —

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० शौकत पिता— मो० अकबर ग्राम— चमेलीचक वार्ड 10 पो०+थाना— हबीबपुर जिला— भागलपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	सीमा देवी पति— पिकू कुमार ग्राम— विरनचक वार्ड 09 पो०— फरीदपुर थाना— जानीपुर जिला— पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	रामकली देवी पति— मदन गिरी ग्राम+पो०— मनिकपुरा थाना— बनियापुर जिला— सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सुनीता देवी पति— अशोक बैठा ग्राम— सबलपुर मुस्लिम टोला वार्ड 10 पो०+थाना— सोनपुर जिला— सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	मेवालाल साह पिता— अनूठा साह ग्राम+पो०— टिकौता थाना— तुरकौलिया जिला— पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	छोटे जमादार पिता- सौखी जमादार ग्राम- इशुआ वार्ड 03 पो0- पावापुरी थाना- गिरियक जिला- नालदा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	मैमून नेशा पति- वजील मिया ग्राम- अजगरी मस्जिद टोला वार्ड 04 पो0- अजगरी मठ थाना- बजरिया जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	जगदीश साह पिता- स्व0 चोंद साह ग्राम- लिलारी पो0- मेयारी बाजार थाना- बघैला जिला- रोहतास	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
9	नन्द किशोर तांती पिता- लक्ष्मण तांती ग्राम- भागीचक वार्ड 05 पो0+थाना- जमालपुर जिला- मुंगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	मो0 इरशाद अहमद पिता- स्व0 मो0 इब्रार अहमद ग्राम- बरपुरा वार्ड 05 पो0- बहपुरा थाना- बिहटा जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	कैलाश पति झा पिता- स्व0 केशव झा ग्राम- कटोरिया पो0- धनौरा थाना- रसलपुर जिला- भागलपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
12	रूपा देवी पति- जमुना राय ग्राम- हनुमानगज वार्ड 01 पो0- चादमारी थाना- शाहपुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	साईमा पति- नसीम ग्राम- चकई वार्ड 04 पो0- चकई हाट थाना- जोकिहाट जिला- अररिया	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

14	सुनील कुमार साहू पिता- स्व० श्री चंद्र साहू ग्राम- महादेव मठ पो०+थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	मिता देवी पति- अरविन्द कुवर ग्राम- चादपुर पो०- सिसवा कला थाना- एम०एच० नगर जिला- सिवान	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
16	मास्टर मो० इस्माईल पिता- मो० मुकर्रप ग्राम- खोर मदनपुर पो०- भीठ भगवानपुर थाना- भेजा जिला- मधुबनी	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
17	महलूदन पति- गयासुद्दीन मिया ग्राम- बृदाबन बथान पो०- सुकुलबृन्दाबन थाना- उचकागाव जिला- गोपालगज	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
18	अमीनउद्दीन पिता- मोहीमुद्दीन ग्राम- बैरबारी वार्ड 05 पो०- चानामाना थाना- पोठिया जिला- किशनगज	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			12,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,10,000/- (बारह लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196974 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता सं०-36930644306 खाता धारक का नाम-“बुद्धा कैसर सेटर प्रा० लि०” खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2338(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं०- 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक...

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सगीता देवी पति- राकेश कुमार सिंह ग्राम+पो०- अलावलपुर थाना- गौरीचक जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	किरण देवी पति- त्रिवेदी हेमत कुमार ग्राम+पो०- शाहपुर उन्डी थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	राम दुलारी देवी पिता- जिबु महतो ग्राम- दुजरा देवी अस्थान नियर श्री राज काम्प्लेक्स पो०- जी पी ओ थाना- बुद्धा कॉलोनी जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	सभापति सिंह पिता- माधव सिंह ग्राम- हता पो०- नेनुआ थाना- डुमराव जिला- बक्सर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
5	सुनैना देवी पति- विश्वनाथ राय ग्राम- महिसौर वार्ड 09 पो०- महिसीर थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	किशोरी यादव पिता- विलाश यादव ग्राम- सैदपुर हाजीपुर पो0- हरनहिया थाना- सहियारा जिला- सीतामढी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	नगीना देवी पति- श्री राम राय ग्राम- माधोपुर छाता वार्ड 09 पो0- माधोपुर थाना- हिरम्मा जिला- शिवहर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	धर्मनाथ प्रसाद पिता- चदेश्वर प्रसाद ग्राम- सालिमपुर अहरा पो0- बाकीपुर थाना- गोंधी मैदान जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			5,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,60,000/- (पाँच लाख साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176974 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा-



एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

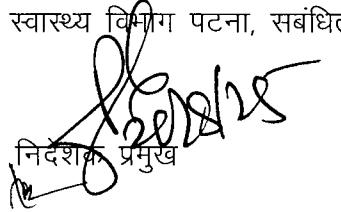
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2339(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 176974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेद्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक. ...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नितीश कुमार पिता- देवकी प्रसाद ग्राम- बहुआरा भान पो०- बाजितपुर थाना- मधुबन जिला- पूर्वी चम्पारण	वन हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176774 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं०- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2340(14)

पटना, दिनांक 21/8/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196977 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
ऑक्सीजन ड्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक...

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	एसो पासवान पिता- रामउचित पासवान ग्राम- महमूदपुर पो०- पी० हलई थाना- हलई जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	दशरानी देवी पति- गोरख दास ग्राम-जमुनिअ कवैया पो०- कवैया थाना- झरौखर जिला- पूर्वी चम्पारण	वन हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			1,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 126977 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 33569032861 खाता धारक का नाम-"ऑक्सीजन ड्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त, शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 21/8/2025

ज्ञापांक 2341(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं०...../96977 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामवाहादुर साहू पिता- कलर साहू ग्राम- बलहा पो०- अतौर थाना- बहेडा जिला- दरभंगा केस फाईल न०- 12एफ2025/002146	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	फूल कुमारी देवी पति- राम भरोसे सिंह ग्राम- ठिकाडीह पो०- रजौर रामभद्रपुर थाना- शिवाजीनगर जिला- समस्तीपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/003202	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
3	लतिफुर रहमान पिता- मो० सुलेमान ग्राम- समनपुरा राजाबाजार पो०- बी भी कॉलेज थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना केस फाईल न०- 11एफ2025/017124	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	परीधी कुमारी पिता- बबलू कुमार ग्राम- भुताने पो०- चौमुख थाना- हथौडी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/003322	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	आफताब आलम पिता- मो० करीम असारी ग्राम- सबुनी पो०+थाना- रामनगर जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल नं०- 19एफ2024 / 005470	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
6	मो० मुजाहिदुल इस्लाम पिता- पसिरुद्दीन अहमद ग्राम- मदरगाछी पो०- अबादपुर थाना- अबादपुर जिला- कटिहार केस फाईल न०- सीयू/27201	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत ।
7	लैला खातून पति- अब्दुल खालिक ग्राम- बनखोबी पो०- चकमारुक थाना- बेलसर जिला- वैशाली केस फाईल नं०- 19एफ2025 / 003690	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
8	विमला देवी पति- शिव चन्दर सिंह ग्राम- आलापुर पो०- धनकौल थाना- तेघडा जिला- बेगूसराय केस फाईल न०- 19एफ2024 / 005710	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
9	मो० जमाल पिता- मेहदी हुसैन ग्राम- मुस्तफापुर पो०- बथना महोदत थाना- गोरौल जिला- वैशाली केस फाईल न०- 19एफ2023 / 003527	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
10	ममतो देवी पति- कमलेश कुमार ग्राम+पो०- चकदीन थाना- अस्थवां जिला- नालदा केस फाईल न०- 19एफ2025 / 004427	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
11	अर्चना कुमारी पति- विनायक चौधरी ग्राम+पो०- कन्हैयाचक थाना- परबत्ता जिला- खगडिया केस फाईल न०- 19एफ2024 / 005757	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

12	मो० कमर रजा पिता- मुमताज ग्राम- चकदोनई पो०+थाना- रून्नीसैदपुर जिला- सीतामढ़ी केस फाईल न०- 19एफ2025/001340	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			7,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,80,000/- (सात लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~1969774~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, एडं रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

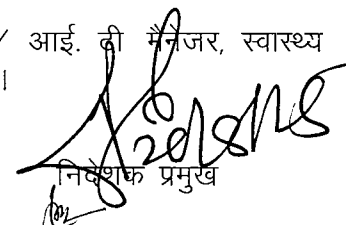
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2342(14)

पटना, दिनांक 28/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~1969774~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एशियन सिटी अस्पताल
पी० एम मॉल, पाटलीपुत्रा
इंडस्ट्रीयल ऐरिया
पटना 800013

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	भवेश कुमार पिता— स्व० कमलकांत सिंह ग्राम— कृष्णापुरी बोरिंग रोड पो०+थाना— एस०के० पुरी जिला— पटना	Chronic Kidney Disease	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	शत्रुघ्न ठाकुर पिता— बशिष्ठ नारायण ठाकुर ग्राम— शेम्भूपुर पो०+थाना— सराय जिला— वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,25,000 /—	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,25,000 /— (एक लाख पच्चीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176974 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-020384600000324 खाता धारक का नाम BLUE SAPPHIRE HEALTH CARES PVT.LTD. Payable at Patna खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— YES BANK शाखा का नाम यश बैंक लि०, ग्राउंड फ्लोर ए-11/33 अलंकार सिनेमा रोड, लाजपत नगर-II नई दिल्ली-110024 RTGS/IFSC कोड सं० YESB0000203 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- 4 यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

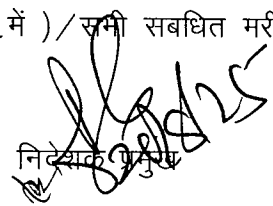
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2343(14)

पटना, दिनांक 21/8/2023

प्रतिलिपि— शायर प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
कंकडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मैमून निसा पति- रियाजुल हक ग्राम- पुराणी मेहसी वार्ड 09 पो०+थाना- मेहसी जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मनान खॉ पिता- हनान खॉ ग्राम- जखडा पो०- कैयार थाना- सिकन्दर जिला- जमुई	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
3	गीता देवी पति- मथुरा शर्मा ग्राम- शाहदुल्लहपुर वाडर्घ 03 पो०- शहदुल्लहपुर थाना- लालगज जिला- वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			3,35,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,35,000/- (तीन लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196974 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889

खाता धारक का नाम—"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार— चालू 
का नाम—एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम. ...RTGS/IFSC कोड स0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।

3. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2344(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं0 176774 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

Vista Hospital,

1/1103 Near Patna Central School,

Bypass Road, Jaganpura,

Patna- 800027

पटना, दिनांक.

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चन्दर पासवान पिता- स्व० रामदेव पासवान ग्राम- लखीपुर सायत वार्ड 01 पो०+थाना- राधोपुर जिला- सुपौल	ब्रेन ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सत्येन्द्र बनैता पिता- रामसेबक बनैता ग्राम-खरगामा वार्ड 11 पो०- अमौजा थाना- फुलपरास जिला- मधुबनी	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			1,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,75,000/- (एक लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196974 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 120031898022 खाता धारक का नाम- Vista Hospital Pvt. Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- Canara Bank, शाखा का नाम- Patna Central School, Jaganpura, RTGS/IFSC कोड सं०- CNRB0017435 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2345(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

Dr. Prabhat Memorial Hiramati Hospital,

Plot No. 106/107-B, Road No.

(Near Dinkar Golamber) Rajendra Nagar,

Patna 800016

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जगदेव महतो पिता- स्व० गोपी महतो ग्राम- दुहोवार पो०- गोपालकेरा थाना- मोहनपुर जिला- गयाजी	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	मजू देवी पति- रामविलास राम ग्राम- ध्रुवगज पो०- खरीक बाजार थाना- खरिक जिला- भागलपुर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	रजीत यादव पिता- नारायण यादव ग्राम- पहाडपुर पो०- भद्दी थाना- पस्तपार जिला- सहरसा	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	मजीत सिंह पिता- परमात्मा सिंह ग्राम- राजमल पिरारी पो०- फकुली थाना- रिविलगंज जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,35,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,35,000/- (तीन लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~196977~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0— **15570210003107** खाता धारक का नाम— **A Unit of Caring Hands Healthcare Pvt. Ltd.**, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— **UCO Bank**, शाखा का नाम— **Kankarbagh Patna**, RTGS/IFSC कोड सं0— **UCBA0001557** में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— **30121380424**, IFSC Code- **SBIN0006379**, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2346(14)

पटना, दिनांक 21/8/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ~~196977~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई0 टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
दृष्टि कुंज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	सीता देवी पति- रामानंद सिंह ग्राम- कोनी पो०- सडा थाना- मानिकपुर जिला- अरवल	Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	मजू देवी पति- प्रदीप राम ग्राम- सी/9 बिस्कोमान कॉलोनी नियर गांधी सेतु पो०- गुलजारबाग थाना- आलमगंज जिला- पटना	Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	धनेशरी देवी पति- भगवान दास ग्राम+पो०- चिलहर थाना- अजिमाबाद जिला- भोजपुर	Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	ललिता देवी पति- पकौडी मिस्त्री ग्राम+पो०- आनदपुर थाना- बिहटा जिला- पटना	Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	शाति देवी पति- सुरेश प्रसाद ग्राम- महावीर नगर बिहटा पो0+थाना- बिहटा जिला- पटना	Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 ~~176974~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं0 ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2347(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 ~~176974~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई. सी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
श्री साईं लायन्स नेत्रालय
बी०/144, पी०सी० कालोनी
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गिरजा सिंह पिता- विन्देश्वर सिंह ग्राम- दौडीह पो०- कुरे थाना- घोषी जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	गुड्डी देवी पति- बृज बिहारी प्रसाद ग्राम- बेलवारगज दुशाद टोली पो०- गुलजारबाग थाना- आलमगंज जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	मिता देवी पति- शिव प्रसाद ग्राम- नूरपुर शरीफागज पो०- माधव मिल्स थाना- मालसलामी जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	अनाराजी देवी पिता- रामनरेश यादव ग्राम- कुरकुटबिगहा पो०- मउ थाना- मउ जिला- गयाजी	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	ओम प्रकाश पिता- सुरेश सिंह ग्राम+पो०+थाना- मेन जिला- गयाजी	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	रिकू देवी पिता- फेकन चौधरी ग्राम+पो0- विसाल बिगहा थाना- औगारी जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	सजय नंदन पिता- हरे कृष्णा नंदन ग्राम- एजी कॉलोनी पो0- आशियाना नगर थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 70,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 70,000/- (सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~196974~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0-442320110000316 खाता धारक का नाम SRI SAI LIONS NETRALAYA खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया शाखा का नाम- ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004423 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2349(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं0 ~~196974~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर
अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जी
पटना 801105

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	ब्रह्मदेव प्रसाद पिता- दीनानाथ प्रसाद ग्राम- बैरीगज पो०- मकरौता थाना- चिकसौरा जिला- नालदा	Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	शारदा देवी पति- स्व० रामजी बिद ग्राम- छटुचक पो०- कसारी थाना- गौरीचक जिला- पटना	Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	चन्द्रकान्ति देवी पति- राजेद्र प्रसाद ग्राम- महमदा पो०- जैतिया फतुहा थाना- गौरीचक जिला- पटना	Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			30,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 30,000/- (तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 126274 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200021671321 खाता धारक का नाम- BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC BANK, शाखा का नाम- Patliputra Branch, Kurji (Patna), RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0002643 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

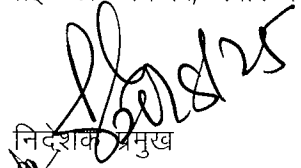
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2350(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196974 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Bright Sight Eye Hospital,
26B Saket, 2nd Floor,
Beside Disha Deaddiction Centre,
Patliputra Colony, Patna - 800013

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— **13.08.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुमित्रा देवी पति—विदेश्वर पासवान ग्राम+पो०—परोहा थाना—मानपुर जिला—नालदा	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	रामगती साव पिता—देश नारायण साव ग्राम—नानपुर पो०—करबासीन थाना—सहार जिला—भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	जगदीश साह पिता—राम शिव साह ग्राम—मुजफ्फरपुर पो०—बरुही थाना—सहार जिला भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	कुती देवी पति—उधेश राम ग्राम+पो०—बरुही थाना—सहार जिला भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	पुनम देवी पति—प्रमोद कुमार सिंह ग्राम—ननौर पो०—करबासीन थाना—सहार जिला भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	राम विनय रामय पिता-कुज बिहारी ग्राम-ननौर पो0-करबासीन थाना-सहार जिला-भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	अतहर हुसैन पिता-नन्हकु मिया ग्राम-ननौर पो0-करबासीन थाना-सहार जिला भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	आशा देवी पति-सोमार साव ग्राम-सगुनी पो0-रेवान थाना-मसौढी जिला पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	शाति देवी पति-सोवरन बारी ग्राम-सगुनी पो0-रेवान थाना-मसौढी जिला पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	सुदमिया देवी पति-सुदर्शन चौहान ग्राम-धनुकी पो0-परोहा थाना-मानपुर जिला-नालंदा	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	नागेश्वर मोची पिता-कारु मोची ग्राम-धनुकीडीह पो0-परोहा थाना-मानपुर जिला-नालंदा	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
12	सुशीला देवी पति-धुरी पासवान ग्राम-परोहा पो0-परोहा थाना-मानपुर जिला-नालंदा	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
13	बिपिन बिहारी लाल पिता-स्व0 श्रीधर प्रसाद ग्राम+पो0-परोहा थाना-मानपुर जिला-नालंदा	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

14	लखिया देवी पति-दुखी पासवान ग्राम-परोहर पो0-परोहर थाना-मानपुर जिला-नालदा	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
15	राजेन्द्र यादव पिता-स्व0 भातु यादव ग्राम-चक धनुकी पो0-परोहा थाना-मानपुर जिला-नालदा	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
16	सजु देवी पति-अर्जुन राम ग्राम-सगुनी पो0-रेवान थाना-मसौढी जिला पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
17	राम विलास बारी पिता-नागेश्वर बारी ग्राम-सगुनी पो0-रेवान थाना मसौढी जिला पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
18	सरजुन पासवान पिता-भुनेश्वर पासवान ग्राम-गुडमिया पो0-थाथान बुजुर्ग थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
19	राजेन्द्र सिंह पिता-राम शोभित सिंह ग्राम-गुडमिया पो0-थाथान बुजुर्ग थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
20	जानकी देवी पति-चतुरी राम ग्राम-गुडमीया पो0-थाथान बुजुर्ग थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
21	राम नारायण भगत पिता-नागेश्वर भगत ग्राम-गुडमिया पो0-थाथान बुजुर्ग थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

22	भोनु राम पिता-घमंडी राम ग्राम-गुडमिया पो0-थाथान बुजुर्ग थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
23	पिंकी देवी पति-सजय सिंह ग्राम-गुडमिया पो0-थाथान बुजुर्ग थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
24	रेखा देवी पति-राम नारायण भगत ग्राम-गुडमिया पो0-थाथान बुजुर्ग थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
25	मच्छु पासवान पिता-चन्द्रिका पासवान ग्राम-गुडमिया पो0-थाथान बुजुर्ग थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
26	कपिलेश्वर पासवान पिता-रघुनदन पासवान ग्राम-पानापुर लगा पो0-पानापुर लंगा थाना हाजीपुर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
27	देवकली देवी पति-देव नारायण साह ग्राम+पो0-पानीपुर लगा थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
28	गीता देवी पति-सिगेश्वर पासवान ग्राम+पो0-पानीपुर लगा थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
29	शकुन्तला देवी पति-जयराम यह ग्राम-बसौली पो0-बिशनपुर तिटरा थाना-हाजीपुर सदर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
30	सिगेश्वर पासवान पिता स्व बगाली पासवान ग्राम+पो0-पानीपुर लंगा थाना-हाजीपुर सदर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

31	चंद्रदेव पासवान पिता-रामरूप पासवान ग्राम+पो0-पानीपुर लगा थाना-हाजीपुर सदर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
32	सोमिला देवी पति-जय मंगल पासवान ग्राम+पो0-पानीपुर लगा थाना-हाजीपुर सदर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 3,20,000 / -	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 1,26,974 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- **18940210000786** खाता धारक का नाम- 'BRIGHT SIGHT EYE HOSPITAL PVT. LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- UCO BANK, KURJEE, PATNA, शाखा का नाम- KURJEE, PATNA, RTGS/IFSC कोड सं० UCBA0001894 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2351(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196974...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अजीत कुमार

पिता- अजय प्रसाद

ग्राम- मुरारपुर निकट देवी सीन मंदिर

पो०- बिहार शरीफ

थाना- लहेरी

जिला- नालदा

पिनकोड- 803101

पटना दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अजीत कुमार पिता- अजय प्रसाद ग्राम- मुरारपुर निकट देवी सीन मंदिर पो०- बिहार शरीफ थाना- लहेरी जिला- नालदा पिनकोड- 803101	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196974 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 30676103844, खाता धारक का नाम- AJEET KUMAR, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- BIHAR SHARIF BAZAR, IFSC कोड स०- SBIN0001216 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2378(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

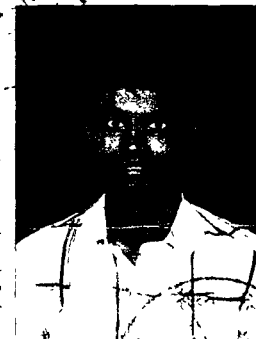
प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

Generally used abbreviations

a/c = Account	dep = Deposit	Pr = Principal
adj = Adjustment	Dft = Draft	proc = Processing Change
Amt = Amount	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	DR = Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Saving Bank
chg/ch = Charge	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
chq = Cheque	ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
Clos = Closure	int/in = Interest	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/H
coll = Collection	lon/in = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
comm = Commision	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdi = Withdrawal
csh = Cash	Pos = Point of sale	+ MOD bal = total balance (SB+link



Branch: BIHAR SHARIF BAZAR
MAHATMA GANDHI ROAD Code: 1216

भारतीय स्टेट बैंक

Email: sbi.01216@sbi.co.in
Phone No.: 222731
IFSC: SBIN0001216

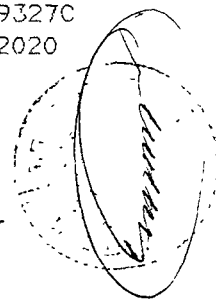
State Bank of India

Buss. Hrs: 10:00:00-16:00:00
MICR: 803002003

Name: Mr. AJEET KUMAR
S/D/H/o : SRI AJAY PRASAD
CIF Number : 85447684194
Account No.: 30676103844
A/c Type : REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT
Address : S/O- AJAY PRASAD, AT-MATHURIA MOHALLA
NEAR DEVI STHAN MANDIR
BIHARSHARIF, DIST-NALANDA
Phone No. : 07899435443
Email : kumar.ajeet131@gmail.com
M.B. (If Minor):
PO Number :

MOP: SINGLE
A/c Opening Dt: 11/02/2009
Nom Reg No:
Customer's PAN: BJAPK9327C
Date of Issue: 19/03/2020
CONTINUATION

शाखा प्रबंधक
Branch Manager



स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

राजेश कुमार
पिता- राजकिशोर श्रीवास्तव
ग्राम+पो०- बारा जयराम
थाना- चिरैया
जिला- पूर्वी चम्पारण
पिनकोड- 845418

पटना दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजेश कुमार पिता- राजकिशोर श्रीवास्तव ग्राम+पो०- बारा जयराम थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण पिनकोड- 845418	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176977 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 40819963000, खाता धारक का नाम- RAJESH KUMAR, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- MAHUAWA, IFSC कोड सं०- SBIN0008182 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

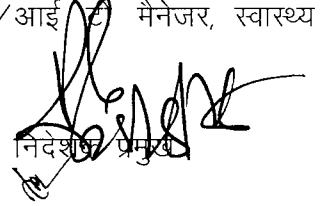
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

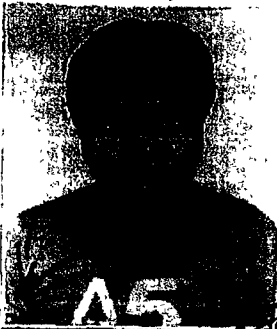
ज्ञापांक 2379(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0...176974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख



Generally used abbreviations

dep = Deposit	Pr = Principal
Dft = Draft	proc = Processing Change
dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
DR = Debit	re/rtn = Return
DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
eft = Electronic Fund Transfer	sb = Saving Bank
chg/ch = Change	SC = Short Credit
chq = Cheque	SI/So/SORD = Standing Instruction
Clos = Closure	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of
coll = Collection	tr/trf/xfer = Transfer
comm = Commission	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	txn = Transaction
CR = Credit	Wdl = Withdrawal
cash = Cash	+ MOD bal = total balance (SB+linked MOD a/c)

आरक्षीय स्टेट बैंक

Branch: MAHUAWA Code: S182
VILL PO-MAHUWA VIA-CHIRAIYA

State Bank of India

Email: sbi.08182@sbi.co.in
Phone No.: 273868
IFSC: SBIN0008182

Buss. Hrs: 10:00:00-16:00:00
MICR: 844002510

Name: Mr. Rajesh Kumar
S/D/H/o : RAJKISHORE SHRIVASTAV
CIF Number : 90920523605
Account No.: 40819963000
A/c Type : REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT
Address : C/O Rajkishore Shrivastava, Gram Barajai
ram, Post Barajairam
Dhaka

MOP: SINGLE
A/c Opening Dt: 02/03/2022
Nom Reg No: 000000036216165
Customer's PAN:
Date of Issue: 02/03/2022
FIRST

Phone No. :
Email :
D.O.B. (If Minor):
PPO Number :

शाखा प्रबंधक
Branch Manager



निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रपक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह

निदेशक प्रमुख

सेवा में

राजेश कुमार

पिता- राजकिशोर श्रीवास्तव

ग्राम+पो0- बारा जयराम

थाना- चिरैया

जिला- पूर्वी चम्पारण

पिनकोड- 845418

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 16.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजेश कुमार पिता- राजकिशोर श्रीवास्तव ग्राम+पो0- बारा जयराम थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण पिनकोड- 845418	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु0 1,08,000 / -	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196879 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स0- 40819963000 खाता धारक का नाम- RAJESH KUMAR, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- MAHUAWA, IFSC कोड स0- SBIN0008182 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
प्रमीला कुमारी
पति- सूर्यकांत सिंह
ग्राम- कुतुबपुर
पो०- लहसुना
थाना- पुनपुन
जिला- पटना
पिनकोड- 804452

पटना दिनांक .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रमीला कुमारी पति- सूर्यकांत सिंह ग्राम- कुतुबपुर पो०- लहसुना थाना- पुनपुन जिला- पटना पिनकोड- 804452	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196977 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 42056875169, खाता धारक का नाम- PRAMILA KUMARI, खाते का प्रकार- SB TINY SPL OD GEN PUB IND, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- PUNPUN, IFSC कोड स०- SBIN0012586 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

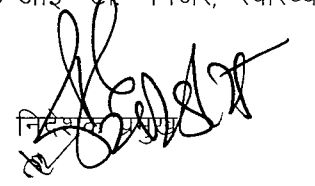
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2380(14)

पटना, दिनांक 21/8/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०. 116974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी, मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमाण

बेने किए जाने वाले संक्षेपाक्षर / GENERALLY USED ABBREVIATIONS

ount/काता	Csh = Cash/कस्दी	Pos = Point of Sale/पॉइंट ऑफ सेल
stment/समावेशन	dep = Deposit/जमा	Pr = Principal/मूल ा
mount/वशि	Dft = Draft/ड्राफ्ट	proc = Processing Charge/प्रक्रिया प्रभार
rear/बकायावशि	dish/dsh = Dishonor/अस्वीकृत	rd = Recurring Deposit/आवर्ती जमा
Balance/शेष	DR = Debit/नामे	ret/rtn = Return/वापसी
Capn = Capitalisation/पूंजीकरण	DOB = Date of Birth/जन्म तारीख	Rnd = Round off/पूर्णांकित
Chg/ch = Charge/प्रभार	eft = Electronic Fund Transfer/इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर	sb = Savings Bank/बचत बैंक
Chq = Cheque/चेक	Inop = Inoperative/निष्क्रिय	SC = Short Credit/छोटे क्रेडिट
CIF = Customer Information File/याहक सूचना फाइल	Ins = Insurance/बीमा	SI/So/SORD = Standing Instruction/स्थायी आदेश
Clos = Closure/समाप्ती	Int / In = interest/ब्याज	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of/ सुपुत्र/ सुपुत्री/पत्नी/पति
Coll = Collection/समाहरण	lon/loan/ऋण	tr/trf/xfer = Transfer/अंतरण
Comm = Commission/कमीशन	min = Minimum/न्यूनतम	txn = Transaction/लेनदेन
COR/CORR = Correction/संशोधन	os = Outstanding/बकायावशि	Wdl = Withdrawal/आहरण
CR = Credit/जमा	P&T = Postal Charges/डाक प्रभार	*MOD bal = Total balance (SB+linked MOD a/c)/कुल जमा शेष (बचत बैंक + सहजर्ती खाता)

UID-2684 694S 97S2

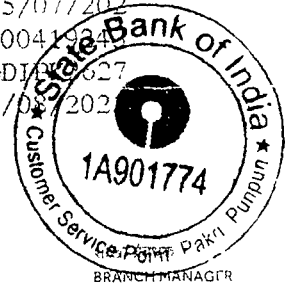


Branch: PUNPUN Code: 12586
HOUSE OF SRI BIRENDRA KUMAR SINGH
NGH
Email: sbi.12586@sbi.co.in
Phone No.: 8969481499
IFSC: SBIN0012586

Buss. Hrs. 10:00:00-16:00:
MICR: 800002544

Name: Mr. Prawla Kumar
D/H: SURYAKANT SINGH
Account No.: 1258990131
Account No.: 1256875169
Ac. Type: SB TINY SAV (OD) GEN PUB IND
Address: w/o Suryakant Singh Kurubpur Thana-
Punpun
DIST-Lalgarh

MOU: SINGLE
A/c Opening Dt: 05/07/202
Nom Reg No: 000000041924
Customer's PAN: GDIK 6627
Date of Issue: 19/08/202
FIRST



217(14)

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

प्रमिला कुमारी
पति- सूर्यकांत सिंह
ग्राम- कुतुबपुर
पो०- लहसुना
थाना- पुनपुन
जिला- पटना
पिनकोड- 804452

पटना, दिनांक 24/1/20

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रमिला कुमारी पति- सूर्यकांत सिंह ग्राम- कुतुबपुर पो०- लहसुना थाना- पुनपुन जिला- पटना पिनकोड- 804452	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 967798 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 42056875169 खाता धारक का नाम- PRAMILA KUMARI, खाते का प्रकार- बचत खाता, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA शाखा का नाम- PUNPUN, IFSC कोड स०- SBIN0012586 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
सुदेश कुमार राम
पिता- राम लाल राम
ग्राम+पो०- डुमरी बुजुर्ग
थाना- नयागाव
जिला- सारण
पिनकोड- 841217

पटना दिनांक... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुदेश कुमार राम पिता- राम लाल राम ग्राम+पो०- डुमरी बुजुर्ग थाना- नयागाव जिला- सारण पिनकोड- 841217	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~196974~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 11751783176, खाता धारक का नाम- SUDESH KUMAR RAM, खाते का प्रकार- SAVING BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- PGIMER CHANDIGARH, IFSC कोड सं०- SBIN0001524 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

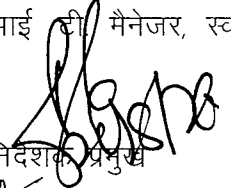
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2381(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी/ मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

SBIyono
SBILifestyle &
banking, dono.

पासबुक

PASS BOOK

सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

Tips for Secure Banking

- अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अंकों, एवं विशेष चिह्न (Special Characters) का उपयोग कर उसे मजबूत और जटिल रखें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड क्रमांक, सीवीवी, पिन, आदि किसी के साथ साझा न करें।
- अनजान प्रेषकों द्वारा आने वाले एसएमएस / ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स से प्राप्त होने वाली लिंक्स पर क्लिक न करें।
- अनजान व्यक्तियों की सलाह पर कोई भी एप्लिकेशन इंस्टॉल न करें।
- एसबीआई के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेशा SBI या SB संक्षिप्त कोड के साथ ही आयेगा। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI

- Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.
- Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone.
- Do not click on links received in SMS/Emails from unknown senders or on social networking sites.
- Do not install any application on the advice of strangers.
- SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI, SB" or e.g., SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:

1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

Call our helpline number for assistance:

1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

To report any suspicious activity, kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930.For more information visit: <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>Branch: PGIMER, CHANDIGARH
SECTOR 12,

Code: 1524

Email: SBI.01524@SBI.CO.IN

Phone No.: 4979317

IFSC: SBIN0001524

Buss. Hrs: 10:00:00-16:00:

MICR: 160002007

Name: SUDESH KUMAR RAM

S/O/H/o : RAM LAL RAM

CIF Number : 81437296259

Account No.: 11751783176

a/c Type : SAVINGS BANK ACCOUNT

Address : S/O-RAMLAL RAM

VILL PO- DUMARI BUZURG
SARAN

Phone No. :

Email :

D.O.B. (If Minor):

MOP: SINGLE

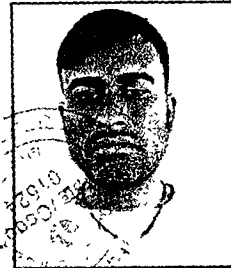
A/c Opening Dt: 08/06/200

Nom Reg No:

Customer's PAN: CPZPR5052

Date of Issue: 29/04/2025

CONTINUATION



सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

Tips for Secure Banking

- अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अंकों, एवं विशेष चिह्न (Special Characters) का उपयोग कर उसे मजबूत और जटिल रखें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड क्रमांक, सीवीवी, पिन, आदि किसी के साथ साझा न करें।
- अनजान प्रेषकों द्वारा आने वाले एसएमएस / ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स से प्राप्त होने वाली लिंक्स पर क्लिक न करें।
- अनजान व्यक्तियों की सलाह पर कोई भी एप्लिकेशन इंस्टॉल न करें।
- एसबीआई के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेशा SBI या SB संक्षिप्त कोड के साथ ही आएं। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI

सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:

1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

- Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.
- Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone.
- Do not click on links received in SMS/Emails from unknown senders or on social networking sites.
- Do not install any application on the advice of strangers.
- SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI, SB" only e.g., SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

Call our helpline number for assistance:

1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

To report any suspicious activity, kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930.

For more information visit: <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>

Branch: PGIMER; CHANDIGARH
SECTOR 12.

Code: 1524

Email: SBI.01524@SBI.CO.IN

Phone No.: 4979317

IFSC: SBIN0001524

Bus. Hrs: 10:00:00-16:00:

MICR: 160002007

Name: SUDESH KUMAR RAM

S/D/H/o : RAM LAL RAM

CIF Number : 81437296259

Account No.: 11751783176

A/c Type : SAVINGS BANK ACCOUNT

Address : S/O-RAMLAL RAM
VILL PO- DUMARI BUZURG
SARAN

Phone No. :

Email :

D.O.B. (If Minor):

MOP: SINGLE

A/c Opening Dt: 08/06/200

Nom Reg No:

Customer's PAN: CPZPR5052

Date of Issue: 29/04/2025

CONTINUATION



रा0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सेंटर फार साईट ए/31
पी०सी० कोलनी कंकडबाग
बिहाईड ग्रेवीटी माल
नियर ओल्ड तिवारी बेचर
पटना 800020

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शुभ्रा देवी पति- स्व० मुंद्रिका प्रसाद ग्राम-करबिगहिया पो०- जी०पी०ओ० थाना- जवकनपुर जिला- पटना	Cataract surgery	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 40,000/- (चालीस हजार) मात्र का क्रास चेक स० 196971 मूल रूप में सलग्न।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2348(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई० टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग / संबंधित मरीजा का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख